

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प कोटली)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)  
पीठासीन अधिकारी- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

मिसल संख्या:- 525/2021

-:आदेश:-

दिनांक 10-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत कोटली व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कोटली पटवार मण्डल कोटली की जमाबन्दी सम्वत् 2025-28 के खाता संख्या 122 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>कोटली</u>	<u>122</u>	<u>राजू पुत्र बलवीर ठोकर</u>	<u>पुनपेन्द्र किंठ पुत्र बलवीर ठोकर</u>

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना  
जिला झुन्झुनूं (राज.)  
दिनांक 10-11-2021

क्रमांक :- राजस्व / 2021 / 290-91  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)
2. प्रार्थी पुनपेन्द्र किंठ पुत्र बलवीर ठोकर राजस्थान जि कोटली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना  
जिला-झुन्झुनूं (राज.)

